पत्र सं0–13 / स्था0–01–03 / 2026................ /

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

ब्रजेश मोहन,
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

सेवा में

सभी मुख्य अभियंता,
जल संसाधन विभाग,
बिहार।

पटना, दिनांक–

विषयः– क्षेत्रीय स्तर पर कनीय अभियंता (असै0) की प्रतिनियुक्ति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विगत माह / वर्ष में ऐसे मामले विभाग के संज्ञान में आ रहे हैं, जिसमें स्थानांतरित कनीय अभियंताओं की प्रतिनियुक्ति मुख्य अभियंताओं के स्तर से बिना किसी विभागीय सूचना / सम्पुष्टि के अपने परिक्षेत्रान्तर्गत की जाती है, जो नियमानुकूल नहीं है।

विदित हो कि कनीय अभियंताओं का स्थानांतरण / प्रतिनियुक्ति की शक्ति नियुक्ति प्राधिकार के अधीन है एवं मुख्य अभियंताओं को अपने प्रक्षेत्रान्तर्गत प्रमण्डल में विभाग द्वारा क्रियान्वित योजनाओं के निर्धारित समय–सीमा में सम्पादित किये जाने हेतु विशेष परिस्थिति में ही कनीय अभियंताओं की प्रतिनियुक्ति किये जाने की शक्ति प्रदत्त है, जिससे यह स्पष्ट है कि मुख्य अभियंताओं द्वारा विभागीय कार्यहित में ही अपने यहाँ पूर्व से पदस्थापित कनीय अभियंताओं को एक निश्चित समय–सीमा तक ही प्रतिनियुक्त किया जा सकता है।

अतएव उपर्युक्त वर्णित स्थिति में निदेशित किया जाता है कि स्थानान्तरित कनीय अभियंताओं की प्रतिनियुक्ति संबंधी आदेश अथवा पूर्व में निर्गत प्रतिनियुक्ति आदेश बिना विभागीय सूचना / सम्पुष्टि के यदि निर्गत किया गया है, तो पत्र प्राप्ति के 3 (तीन) दिनों के अंदर संबंधित प्रतिनियुक्ति आदेश को रद्द करते हुए विभाग को यथाशीघ्र अवगत कराया जाय।

विश्वासभाजन,

ह0 / –
(ब्रजेश मोहन)
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

ज्ञापांक – पटना / दिनांक –

प्रतिलिपिः– सभी अधीक्षण अभियंता / सभी कार्यपालक अभियंता को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

ह0 / –
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

ज्ञापांक – 3903 / पटना / दिनांक – 09/07/2026

प्रतिलिपि– कार्यपालक अभियंता, आई0टी0, जल संसाधन विभाग, सूचना प्रावैद्यिकी केन्द्र, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित सभी पदाधिकारियों के ईमेल पता पर भेजने हेतु प्रेषित।

07/07/26
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

A. Letter